[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 59/2018- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 26 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. .... (अ)–आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 45 के उपनियम (3) के अनुसरण में, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 832(अ), तारीख 4 सितंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 40/2018-केंद्रीय कर, तारीख 4 सितंबर, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 की अवधि के दौरान किसी छुटपुट काम करने वाले को भेजे गए माल या छुटपुट काम करने वाले से प्राप्त माल अथवा एक छुटपुट काम करने वाले से दूसरे छुटपुट काम करने वाले को भेजे गए माल के संबंध में, उक्त नियम के **प्ररूप जी.एस.टी.आई.टी.सी. 04** में घोषणा करने के लिए समय-सीमा को 31 दिसंबर, 2018 तक बढ़ाते हैं ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी (पार्ट)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार